



2026:AHC:129669

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 21873 वर्ष 2026

किशन साहनी

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : पीयूष पटेल, प्रदीप कुमार

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन, विचारण के लंबित रहने के दौरान मुकदमा अपराध संख्या 354 वर्ष 2025, धारा 137(2), 87, 65(1) बी.एन.एस., लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पाँक्सो) अधिनियम की धारा 5 जे(ii)/6 तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(2)(v), थाना - श्यामदेउरवा, जिला - महाराजगंज के अंतर्गत आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक ने न तो पीड़िता का अपहरण किया और न ही उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बी.एन.एस.एस. की धारा 183 के तहत दर्ज अपने बयान में कहा है कि वह बालिग है और आवेदक के साथ रह रही है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक का एक अन्य मामले का आपराधिक इतिहास है, जिसमें उसे पहले ही जमानत मिल चुकी है। आवेदक 27.02.2026 से जेल में है।
4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है और तर्क दिया है कि पीड़िता ने बी.एन.एस.एस. की धारा 180 के तहत दर्ज अपने बयान में कहा है कि वह

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



लगभग 17 वर्ष की नाबालिग है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि उसकी चिकित्सीय परीक्षण के समय पीड़िता गर्भवती पाई गई थी, जो स्पष्ट रूप से अभियोजन पक्ष के मामले को स्थापित करता है।

5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है।

6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने बताया है कि 22.06.2026 को सूचनाकर्ता पर नोटिस की विधिवत तामीली की गई थी। हालांकि, जब मामला पुकारा गया, तो सूचनाकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

7. बी.एन.एस.एस. की धारा 183 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान के अवलोकन से संकेत मिलता है कि वह आवेदक को लगभग चार वर्षों से जानती थी और उसके साथ प्रेम संबंध में थी। वह आवेदक से विवाह करने का दावा करती है और पिछले दो महीनों से बेंगलुरु में उसके साथ रह रही थी। उसका दावा है कि उनके बीच जो शारीरिक संबंध बने थे, वे उसकी सहमति से बने थे। वह अपनी आयु 18 वर्ष होने का दावा करती है। आवेदक 27.02.2026 से जेल में है और पूर्व दोषसिद्ध नहीं है।

8. मामले के समस्त तथ्यों और परिस्थितियों, विशेष रूप से बी.एन.एस.एस. की धारा 183 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान को ध्यान में रखते हुए, प्रथम दृष्टया जमानत का मामला बनता है।

9. जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

10. अभियुक्त-आवेदक **किशन साहनी**, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में शामिल है, को संबंधित अदालत के संतोष के अनुसार व्यक्तिगत बंध पत्र और समान राशि की दो विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा कर दिया जाए:

i. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

ii. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।

iii. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें नहीं डराएगा और विचारण में सहयोग करेगा।



iv. आवेदक विचारण अदालत द्वारा तय की गई प्रत्येक तारीख पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित अदालत द्वारा उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दे दी गई हो।

11. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, विचारण न्यायालय को उसकी जमानत निरस्त करने के लिए आगे बढ़ने की स्वतंत्रता होगी।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई और संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचनबद्धता के साथ सत्यापित इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

13. यह आगे निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजेगी।

14. यहाँ की गई टिप्पणियाँ विशेष रूप से इस जमानत आवेदन को तय करने के लिए हैं और इन्हें मामले के गुण-दोषों पर राय नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

30 जून, 2026

कुशल